

## कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल 2022 के क्रम में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रत्येक संवर्ग यथा श्रेणी-1, श्रेणी-2, 'अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग' (सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3), लिपिक संवर्ग, कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता, मानचित्रक, अनुरेखक, लेखा संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, सांख्यिकी संवर्ग तथा वाहन चालक संवर्ग के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं विकल्प उत्तराखण्ड/विभागीय वेबसाईट में सूचनार्थ अपलोड किया जा रहा है।

50/-  
कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-कृ0नि0/1804 /स्था0/वार्षिक स्थाना0अधि0/2022-23/दिनांक 21-06-2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त कार्मिक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तराखण्ड के माध्यम से समस्त कार्मिक।
3. सहायक निदेशक, सम्भागीय कृषि प्रदर्शन एवं परीक्षण केन्द्र, निदेशालय परिसर, देहरादून के माध्यम से समस्त कार्मिक।
4. केन्द्राध्यक्ष राजकीय भूमि संरक्षण परीक्षण केन्द्र पौड़ी के माध्यम से समस्त कार्मिक।
5. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर गढ़वाल/रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के माध्यम से समस्त कार्मिक।
6. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड के माध्यम से समस्त कार्मिक।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी के माध्यम से समस्त कार्मिक।
8. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के माध्यम से समस्त कार्मिक।
9. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून के माध्यम से समस्त कार्मिक।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

5  
कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड  
21/6